अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक / विकास / 2023 / 541   रीवा, दिनांक : 1-11-2023

प्रति,

अध्यक्ष / प्राचार्य
पं. रामसुन्दर शुक्ला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, पहड़िया, जिला रीवा (म.प्र.)
पूर्व नाम – अरुण तिवारी स्मृति महाविद्यालय, पहड़िया, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :– सत्र 2020–2021 की शेष बकाया सम्बद्धता शुल्क की राशि नहीं जमा कराये जाने के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस।

सन्दर्भ :– (1) आपका पत्र क्रमांक / 13 दिनांक 13–10–2023
(2) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक / विकास / 2023 / 510 दिनांक 26–9–2023

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2020–2021 के लिए सम्बद्धता शुल्क की शेष बकाया राशि रुपये 1,90,000=00 (एक लाख नब्बे हजार रुपये) अद्यावधि नहीं जमा करायी गई है। वांछित राशि जमा कराये जाने हेतु अनेकों पत्र भेजे गये हैं। जिसके प्रतिउत्तर आपके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने का हवाला दिया जाता है जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सत्र 2020–2021 मात्र एक सत्र के लिए सम्बद्धता शुल्क पर अधिरोपित जी.एस.टी. की राशि माफ करने का निर्णय हुआ था जिसके परिपालनार्थ उक्त राशि माफ की जाकर शेष तीन सत्रों की एक मुस्त राशि जमा करा ली गई है। सम्बद्धता शुल्क की शेष बकाया राशि रुपये 1,90,000=00 नहीं जमा कराने सम्बन्धी माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय अद्यावधि नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए उक्त बकाया राशि रुपये 1,90,000=00 सात दिवस के अन्दर जमा कराने का कष्ट करें। ऐसा नहीं करने पर हाने वाली वैधानिक कठिनाइयों के लिए आपकी स्वयं की जवाबदारी मानी जावेगी।

"इसे वैधानिक नोटिस माना जाय"

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद्।
2. परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
3. विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर अनिवार्यतः वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
4. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।

प्रभारी सहायक कुलसचिव (विकास)